

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,

नवदेहली

कुलपति पुरस्कार योजना की सामान्य नियमावली

दिनांक – 05.09.2025

- माननीय कुलपति महोदय द्वारा कुलपति पुरस्कार योजना में पुरस्कार के चयन हेतु पांच सदस्यीय चयन समिति का मनोनयन किया जाएगा।
- शैक्षणिक वर्ग में पुरस्कार चयन समिति के अध्यक्ष माननीय कुलपति महोदय एवं गैर-शैक्षणिक वर्ग में पुरस्कार चयन समिति के अध्यक्ष कुलसचिव होंगे।
- गैरशैक्षणिक पुरस्कारों हेतु आवेदन करने के लिए न्यूनतम अनुभव निम्नानुसार होंगे -

पुरस्कार में आवेदन हेतु अर्ह श्रेणी	पुरस्कार का नाम	न्यूनतम अपेक्षित अनुभव
ग्रुप सी श्रेणी कर्मी	कर्मयोगश्रीः	न्यूनतम 3 वर्ष का विश्वविद्यालय में अनुभव आवश्यक है।
ग्रुप बी श्रेणी कर्मी	कर्मयोगभूषणम्	2 वर्ष स्वयं की श्रेणी में एवं 5 वर्ष का विश्वविद्यालय में कुल अनुभव आवश्यक है।
ग्रुप ए श्रेणी कर्मी	कर्मयोगविभूषणम्	2 वर्ष स्वयं की श्रेणी में एवं 8 वर्ष का विश्वविद्यालय में कुल अनुभव आवश्यक है।

- चयन समिति के किसी भी सदस्य का स्वयं का आवेदन / अन्य द्वारा उनका नामांकन पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं होगा। यदि कोई सदस्य पुरस्कार हेतु अभ्यर्थी बने रहना चाहता है तो वह सदस्य के रूप में चयन समिति में बने रहने की पात्रता नहीं रख पाएगा।
- सभी पुरस्कारों के लिए आवेदन पत्र पूरित न करने की स्थिति में भी चयनसमिति एवं माननीय कुलपति जी को यह विशेषाधिकार होगा कि वे अपने विवेकानुसार एवं संज्ञानानुसार विश्वविद्यालय/ आदर्शमहाविद्यालय/शोधसंस्थान के योग्य व्यक्ति का चयन पुरस्कार हेतु संस्तुत/चयनित कर सकते हैं।
- चयन समिति को आवेदनों/नामांकनों के आधार पर प्रत्येक पुरस्कार हेतु 2 समतुल्य/वरिष्ठता के आधार पर उत्कृष्ट नामों का विकल्प प्रस्तावित करना होगा। जिसमें से कोई एक विकल्प चुनने का अधिकार माननीय कुलपति जी के पास सुरक्षित होगा।
- किसी श्रेणी में 1 बार चयनित होने पर अग्रिम 5 वर्षों तक उसी श्रेणी में प्राप्त आवेदन पुनः पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं होगा।
- चयन समिति के किसी भी सदस्य के रक्त सम्बन्धी का आवेदन आने की स्थिति में उस आवेदन पर विचार करते समय उस समिति सदस्य को निष्पक्षता एवं गोपनीयता की दृष्टि से समिति में सदस्य के रूप में नहीं रखा जा सकेगा। (विचारोपन्त वह सदस्य पुनः समिति सदस्य के रूप में पूर्ववत् दायित्व निर्वाह कर सकेगा)
- शिक्षाविभूषण पुरस्कार के लिए समिति किसी भी प्रकार के आवेदन को आधार मानते हुए चयन/संस्तुति कर सकती है अर्थात् शिक्षाविभूषण की श्रेणी में ही आवेदन होना आवश्यक नहीं है।
- किसी अन्य श्रेणी में पुरस्कृत होने पर ही शिक्षाविभूषण पुरस्कार दिये जाने की बाध्यता नहीं है।
- शिक्षाभूषण पुरस्कार के लिए गुरुकुल पद्धति से शास्त्रों का प्रभावपूर्ण शिक्षण आवश्यक है।
- शिक्षायोगी पुरस्कार हेतु केवल पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष का ही चयन होगा।
- किसी श्रेणी में पुरस्कार योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर पुरस्कार हेतु प्रस्ताव करने की बाध्यता नहीं है। अर्थात् उस वर्ष उस श्रेणी का पुरस्कार दिया जाना अनिवार्य नहीं है।
- किसी अनुशासनात्मक प्रकरण ही जांच लम्बित होने पर भी अभ्यर्थी का नाम प्रकरण के निस्तारण तक घोषित नहीं किया जा सकेगा।
- पुरस्कृत होने पर इसी वित्तीय वर्ष में मूल राशि (Seed Money) प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा। आवेदन न करने की स्थिति में पुरस्कार राशि स्वतः निरस्त हो जाएगी।
- किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर माननीय कुलपति जी को पुरस्कार रद्द करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई पुरस्कार राशि एवं प्रमाण पत्र को लौटाना अनिवार्य होगा। चयनसमिति के सभी सदस्यों को पुरस्कार घोषित होने तक गोपनीयता का पालन करना अनिवार्य होगा।